// कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

10 तेंदुए के अवैध शिकार एवं तस्करी मामले में 03 और आरोपी गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ति (55/26, दिनांक 20.08.2026)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अंतर्राज्यीय शिकार एवं तस्करी गिरोह के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) मध्यप्रदेश द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

विगत माह में प्रकाश में आये 10 तेन्दुऐं के शिकार के प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में एक संगठित गिरोह के लिप्त होने के साक्ष्य मिले है। इसमें लिप्त 03 आरोपियों को माननीय आगरा (उत्तर प्रदेश) न्यायालय से प्रोडक्शन वांरट पर प्राप्त कर उन्हे विधिवत गिरफ्तार कर फॉरेस्ट रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ की गई है। प्रकरण में वर्तमान में विवेचना की जा रही है। आज दिनांक तक कुल 12 आरोपी जो कि तीन अलग-अलग राज्यों के निवासी है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस प्रकरण में दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन के सह संस्थापक की भूमिका प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध पाई गई है। उनको विवेचना अधिकारी के समक्ष दिनांक 24.08.2026 को उपस्थित होने हेतु द्वितीय समन्नस भेजा गया है।

यह प्रकरण मध्यप्रदेश शासन के लिए अत्यंत महत्वूर्ण है क्योकि इसमें लिप्त गिरोह द्वारा 10 तेन्दुओं का शिकार जिला श्योपुर व मुरैना में किया गया है जो अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र "चीता लैण्डस्कैप" के अंतर्गत आता है। प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल